

कार्यालय प्रचार्य, गो० तो० पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जावरा (म० प्र०)

जावरा, दिनांक 1-7-1

क्र/जीपीजे/लेखा/2016/1278

द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जिन्हें वर्ष 2016-17 में तृतीय टर्म में प्रवेश लेना है	शुल्क का विवरण	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग	
			जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 2,50,000 से कम हो।	जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 2,50,000 से अधिक एवं 3,00,000 से कम हो।	जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 3,00,000 से अधिक हो।	जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 75,000 से कम हो, एवं छात्रवृत्ति तथा शिक्षण शुल्क वापसी का फॉर्म भरा हो।	जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 75,000 से अधिक हो।
तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जिन्हें वर्ष 2016-17 में पंचम टर्म में प्रवेश लेना है	(1) शैक्षणिक शुल्क	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) अन्य शुल्क	232	232	232	232	232	232
नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जिन्हें वर्ष 2016-17 में प्रथम टर्म में प्रवेश लेना है	योग	10232	5232	10232	10232	10232	10232
	(1) शैक्षणिक शुल्क	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जिन्हें वर्ष 2016-17 में प्रथम टर्म में प्रवेश लेना है	(2) अन्य शुल्क	232	232	232	232	232	232
	योग	10232	5232	10232	10232	10232	10232
नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जिन्हें वर्ष 2016-17 में प्रथम टर्म में प्रवेश लेना है	(1) शैक्षणिक शुल्क	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) अन्य शुल्क	332	332	332	332	332	332
नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जिन्हें वर्ष 2016-17 में प्रथम टर्म में प्रवेश लेना है	योग	10332	332	332	332	332	332

नोट - सायकल स्टेण्ड एवं कॉम्प्युटर शुल्क पृथक से देय होगा। शिक्षण शुल्क में छुट प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी एवं मूल प्रति लाना आवश्यक है। साथ ही छात्रवृत्ति फार्म में शिक्षण शुल्क का लाम व राशि दर्शाना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड धारकों को 1 जनवरी 2003 के पूर्व कराये गये नसबंदी आपरेशन पर ही छुट प्राप्त होगी। मूल एवं फोटो कॉपी फीस जमा करते समय ही लाना आवश्यक है बाद में ग्रीन कार्ड के लाम लेने पर शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। चालान फार्म काउंटर से प्राप्त करें एवं चालान की एक कॉपी काउंटर पर आवश्यक जमा करावें। जिनकी पिछले वर्ष की फीस बाकी है वे वह भी जमा करावें उसके अभाव में रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। फीस भरने की एवं रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30-07-2016 है। उसके पश्चात फीस व रजिस्ट्रेशन फार्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। विलंब शुल्क लगेगा। साथ कि जो विद्यार्थी शिक्षण शुल्क में छुट का लाम ले रहे हैं उन्हें शिक्षण शुल्क महाविद्यालय को वापसी हेतु फार्म अवश्य भरना होगा। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क रिफंड हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति फार्म में ही इस हेतु आवेदन करें।

प्रतिलिपि - (1) शैक्षणिक विभाग (2) लेखा विभाग (3) संस्था एवं छात्रावास नोटिस बोर्ड (4) प्रभारी छात्रवृत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ कि जो विद्यार्थी शिक्षण शुल्क में छुट का लाम ले रहे हैं उनसे शिक्षण शुल्क वापसी हेतु फार्म अवश्य भरवाया जावे।

प्राचार्य,
जी.टी. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जावरा

48-42522